उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-/2016/1725/62-2-2016-2/4(33)/2015
लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई,2016

विज्ञप्ति/पदोन्नति

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-46/2016/869/62-2-2016-2/4(33)/2015, दिनांक 03.5.2016 द्वारा श्री श्याम प्यारे राम, अवर अभियंता को स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता, लघु सिंचाई के पद पर पदोन्नत करते हुए जनपद अमेठी में सहायक अभियंता के रिक्त पद पर तैनात किया गया हैं।

2- लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0-121(।।।)/3/पी/एस-12/2015-16, दिनांक 18.02.2016 द्वारा श्री श्याम प्यारे राम की पदोन्नति किये जाने की संस्तुति परिणामी रिक्ति के सापेक्ष की गयी है। अत: उक्त संस्तुति के अनुसार श्री श्याम प्यारे राम, अवर अभियंता, लघु सिंचाई को वेतन बैंड-3, वेतनमान रू0-15600-39100, ग्रेड वेतन रू0-5400/- में सहायक अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति कर जनपद अमेठी में तैनात करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव।

सं0-/2016/1725(1)/62-2-2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड, उ0प्र0।
7- संबंधित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in